प्रेस नोट–136/2026
दिनांक 10.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अलीगढ़ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अलीगढ़ इकाई** द्वारा श्री विमल कुमार निवासी ग्राम गंगपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार न्यायालय कक्ष तहसील पटियाली कासगंज से **पेशकार बृजेश कुमार (तहसील पटियाली)** पुत्र स्व0 प्रेम सिंह निवासी मो0 जय जय राम सिटी रोड थाना कोतवाली नगर जनपद कासगंज को **25 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–137 / 2026
दिनांक 10.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक

मुख्य बिंदु

- **सतत पर्यवेक्षण एवं नियमित समीक्षा के परिणामस्वरूप जनशिकायतों के प्रकरणों में पूरे प्रदेश में उल्लेखनीय एवं अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है।**
- **पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि एफआईआर से पूर्व की प्रभावी पुलिसिंग (Preventive Policing) अत्यंत आवश्यक है, जिससे विवादों एवं अपराधों को प्रारम्भिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके।**
- **जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को थानों एवं चौकियों पर पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग के महत्वपूर्ण मानकों में सम्मिलित किया जाए।**
- **ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।**
- **पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग से अपराध-मुक्त समाज की दिशा में एक सुदृढ़ ब्लूप्रिंट तैयार होगा।**

(पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.)

आज दिनांक 10 मार्च 2026 को पुलिस मुख्यालय में श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद) के साथ ऑनलाइन माध्यम से उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य रूप से आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन, ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) अभियान, यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग तथा अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

अपराध गोष्ठी के मुख्य बिंदु

1. जनसुनवाई से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

- माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसकी नियमित मासिक समीक्षा की जा रही है।
- पुलिस महानिदेशक द्वारा जून 2025 से समीक्षा बैठकों में समस्त जनपदों को जनशिकायतों में 40 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य दिया गया था।

- समीक्षा में पाया गया कि योजनाबद्ध कार्यवाही एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के परिणामस्वरूप प्रदेश में इस दिशा में अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और जनशिकायतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

मुख्य उपलब्धियाँ

(i) जनपद सम्भल, फिरोजाबाद एवं इटावा में जनशिकायतों में लगभग 70 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

(ii) 15 जनपदों (बदायूं, श्रावस्ती, गोरखपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, उन्नाव, पीलीभीत, बुलन्दशहर, एटा, खीरी, अम्बेडकरनगर, बरेली, संतकबीरनगर एवं प्रतापगढ़) में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई।

(iii) 48 जनपदों में जनशिकायतों में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई।

- पुलिस महानिदेशक ने इसे सुशासन (Good Governance) का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि सम्भल, फिरोजाबाद एवं इटावा में अपनाए गए प्रभावी उपायों का विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जाए, जिससे उन उपायों को अन्य जनपदों में भी लागू किया जा सके और जनसुनवाई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर से पूर्व की पुलिसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण को थानों/चौकियों पर पोस्टिंग के आधार के रूप में भी सम्मिलित किया जाए।

2. विवेचना की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण

- प्रदेश में विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के Centralized Ranking एवं NCL Dashboard में प्रदेश की वर्तमान रैंकिंग (3rd Rank) को सुधारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुरूप सामान्य विवेचनाओं में 60 एवं गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का 90 दिवस में निस्तारण के लक्ष्य के अनुरूप विवेचनाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल किए जाएं।
- इस संबंध में उच्चाधिकारी गण द्वारा नियमित अर्दली रूम/पर्यवेक्षण करते हुये विवेचनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

3. ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD)

- ZFD योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु व्यापक कार्यवाही की जा रही है तथा दुर्घटनाओं में 40 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- समीक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट तथा कमिश्नरेट जोन को एक पृथक इकाई मानते हुए कुल 88 इकाइयों की समीक्षा की गई।
- समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश की 54 इकाइयों में निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई । जनपद श्रावस्ती में लगभग 83 प्रतिशत, कमिश्नरेट गाजियाबाद ग्रामीण जोन में

53 प्रतिशत एवं जनपद जालौन में 48 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी, जबकि 6 जनपदों में दुर्घटनाओं की संख्या पूर्व वर्षों के लगभग समान रही।

4. यक्ष ऐप

- वरिष्ठ अधिकारी स्वयं के निर्देशन में यक्ष ऐप में अधिक से अधिक डेटा फीडिंग सुनिश्चित कराएं।
- पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यक्ष ऐप का समुचित उपयोग अपराध-मुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा यह बीट पुलिसिंग का एक सुदृढ़ आधार स्तंभ सिद्ध होगा।

5. एएनटीएफ (ANTF)

- एएनटीएफ द्वारा प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण हेतु NDPS Act की धारा 68E एवं 68F के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- एएनटीएफ द्वारा तीन माह का विशेष अभियान "ऑपरेशन दहन" संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जब्त मादक पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा।

6. ई-सम्मन एवं ई-साक्ष्य

- ई-सम्मन एवं ई-साक्ष्य से संबंधित प्रकरणों की पुलिस अधीक्षक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
- पुलिस बल को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाते हुए अधिकाधिक वैज्ञानिक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलित करने पर विशेष बल दिया जाए।

बैठक के समापन पर पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप पूर्ण मनोयोग, निष्ठा एवं पेशेवर दक्षता के साथ कार्य करते हुए पुलिसिंग के सभी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय प्रदर्शन सुनिश्चित करें। साथ ही जिन जनपदों में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, उन्हें कड़े निर्देश दिए गए कि निर्धारित कार्ययोजना को सख्ती से लागू करते हुए अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित किए जाएँ।

प्रेस नोट–138/2026
दिनांक 10.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 37 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने के करीब (206 ग्राम) चाँदी (1536 ग्राम) के आभूषण**
- **चोरी के 52 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 09.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 37 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने के करीब (206 ग्राम) चाँदी (1536 ग्राम) के आभूषण, चोरी के 52 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज कुमार निवासी मूल तकिया धरहरा थाना लार जनपद देवरिया, हालपता मिश्र नेवरी काशीपुर वार्ड नं0–5 थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया।

बरामदगी

1–लगभग 37 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने के करीब (206 ग्राम) चाँदी (1536 ग्राम) के आभूषण।

2–चोरी के 52 हजार 500 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बिजनौर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **47 हजार 150 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 10.03.2026 को थाना बिजनौर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–रावेन्द्र कुमार उर्फ छोटू 2–सन्नी उर्फ कालिया 3–शिवा उर्फ जॉन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 47 हजार 150 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रावेन्द्र कुमार उर्फ छोटू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त सन्नी उर्फ कालिया के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 19 अभियोग व अभियुक्त शिवा उर्फ जॉन के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिजनौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रावेन्द्र कुमार उर्फ छोटू निवासी शुभम मार्केट दुर्गापुरम कालोनी फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

2—सन्नी उर्फ कालिया निवासी हंसखेड़ा थाना पारा लखनऊ।

3—शिवा उर्फ जॉन निवासी काशीराम कालोनी सदरौना थाना पारा लखनऊ।

बरामदगी

1—भारी मात्रा में चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—47 हजार 150 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनांक 09.03.2026 को थाना सैयदराजा व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच—19 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर के पास से 02 अभियुक्तों 1—हरिश्चन्द्र 2—अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम इतवारी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

2—अंकित निवासी ग्राम मिसौरा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—849 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त ट्रक।

- **<u>जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 15 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 15 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना तरबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भारत को सश्रम आजीवन कारावास व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना आसीवन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना आसीवन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवमोहन को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना मांची (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना मांची पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजबहादुर उर्फ मंगरू को सश्रम आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।